रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102024-258136
CG-DL-E-22102024-258136

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4227] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 22, 2024/आश्विन 30, 1946
No. 4227] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2024/ASVINA 30, 1946

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4596(अ).—जबकि मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय कॉर्पोरेट सेंटर बी ब्लॉक, 34 संत तुकाराम रोड, कार्नाक बंदर, मुंबई-400009, भारत में स्थित है, ने तमिलनाडु के करूर जिले में अपनी 198 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना के लिए मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम में शामिल डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना के तहत शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने फ़ाइल सं. 25-17/54/2024-पीजी दिनांकित 06.06.2024 के द्वारा तमिलनाडु के करूर जिले में मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के 198 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम में शामिल डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों दोपहर अंग्रेजी दैनिक (अंग्रेजी में) दिनांक 10.06.2024 और दक्षिण प्रकाश (हिंदी में) दिनांक 10.06.2024 और दीना सेठी (तामिल में) दिनांक 10.06.2024,

और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 06.07.2024 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने 07.09.2024 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर कोई टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत तमिलनाडु के करूर जिले में मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के 198 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डेडिकेटेड शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन हैं:

"मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के ग्राम सेनापतिपालयम (तालुक - कंगायम, जिला - तिरुपुर, तमिलनाडु) में स्थित पूलिंग स्टेशन (पीएस) से करूर पीएस (आईएसटीएस) तक 230 केवी ट्रांसमिशन लाइन"

उपरोक्त योजना के अंतर्गत शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन तमिलनाडु राज्य के निम्नांकित गाँवों,कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

गॉवों के नाम	**तहसील**	**जिला**	**राज्य**
मुत्तानायक्कनवलासु, वेलप्पनयाक्कनवलासु, सुंदरादिवलासु, पप्पावलासु, वेल्लाट्टंगाराईपुदुर, मोट्टक्कलिवलासु, वडकरई मनलूर, मेलरंगम	कंगायम	तिरुपूर	तमिलनाडु
कुरिक्करंतुराई, मुलप्पलैयम, मेट्टूर, पुदुर, कोम्बई, सिलमपट्टी, एरासिनमपालयम, येल्लाप्पलैयम कॉलोनी, नलूरोडु, करुप्पनवलासु, संबालाटोट्टम, नाराणवलासु, नट्टरमंगलम, तट्टारवलासु, मोलक्कवुंदनवलासु, रक्कियावलासु, कुमारय्यापलायम, उत्तमकवुंदनवलासु, नैनाकावुंदनवलासु, सनरपाल अय्यम, नट्टापलैयम, वल्लियप्पनकवुंदनवलासु, कुलंदैकवुंदनवलासु, वट्टक्कलिवलासु	धारापुरम	तिरुपूर	तमिलनाडु

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

vii. यदि उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है तो आवेदक को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838 पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी/विशेषज्ञ समिति के निर्देशों का पालन करना होगा।

[फ़ा. सं. 25-16/39/2024-पीजी]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 21st October, 2024

S.O. 4596(E).—Whereas M/s Tata Power Renewable Energy Limited, having its corporate office at Corporate Center B Block, 34 Sant Tukaram Road, Carnac Bunder, Mumbai-400009 has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for installation of the dedicated overhead transmission line included in the transmission system for providing connectivity to M/s Tata Power Renewable Energy Ltd. for its 198 MW Wind Power Project in Karur, Tamilnadu.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its File No.25-17/54/2024-PG dated 06.06. 2024 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for installation of the dedicated overhead transmission line included in the transmission system for providing connectivity to M/s Tata Power Renewable Energy Ltd. for its 198 MW Wind Power Project in Karur, Tamilnadu.

M/s Tata Power Renewable Energy Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Afternoon English Daily (in English) dated 10.06.2024, Dakshin Prakash (in Hindi) dated 10.06.2024, Dina Seithi (in Tamil) dated 10.06.2024, and in Weekly Gazette of India dated 06.07.2024 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Tata Power Renewable Energy Limited has submitted an affidavit dated 07.09.2024 declaring that no observation/representation was received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for installation of the dedicated overhead transmission line included in the transmission system for providing connectivity to M/s Tata Power Renewable Energy Ltd. for its 198 MW Wind Power Project in Karur, Tamilnadu. The following overhead transmission line is covered under this scheme:

"230 kV transmission line from M/s Tata Power Renewable Energy Ltd. generating pooling station (PS) located in Village Senapathipalayam (Taluk - Kangayam, District - Tirupur, Tamil Nadu) to Karur PS (ISTS S/s)"

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Tamilnadu:

Villages	Tehsil	District	State
Muttanayakkanvalasu,Velappanayakkanvalasu,Sundaradivalasu, Pappavalasu,Vellattangaraipudur, mottakkalivalasu, Vadakarai manalur, Mailrangam	Kangayem	Tiruppur	Tamilnadu
Kurikkaranturai,Mulappalaiyam, Mettur, Pudur, Kombai, Silampatti, Erasinampalaiyam, Yellappalaiyam Colony, Naluroadu, Karuppanvalasu, Sambalatottam, Naranavalasu, Nattarmangalam, Tattaravalasu, Molakkavundanvalasu, Rakkiyavalasu, Kumarayyapalaiyam, Uttamakavundanvalasu, Nainakavundanvalasu, Sanarpalaiyam, Nattapalaiyam, Valliappankavundanvalasu, Kulandaikavundanvalasu, Vattakkalivalasu	Dharapuram	Tiruppur	Tamilnadu

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Tata Power Renewable Energy Limited for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s Tata Power Renewable Energy Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the orders of the Hon'ble Supreme Court in the petition No.838 of 2019 regarding Great Indian Bustard (GIB) case, and the directions of the technical/expert committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No. 25-16/39/2024-PG]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.10.22 19:10:04 +05'30'